



Neutral Citation No-2026:AHC:9924

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 4864 वर्ष 2025

कमलेश कुमार याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चंद्र मणि पांडेय, सचिन कुमार ओझा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सचिन कुमार ओझा ने प्रस्तुत किया कि बदले हुए परिदृश्य में, प्रस्तुत रिट याचिका निरर्थक हो जाती है। इसलिए, इसे निष्फल के रूप में खारिज किया जा सकता है।
2. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का कोई विरोध नहीं है।
3. इस प्रकार, प्रस्तुत रिट याचिका निष्फल होने के बाद **खारिज** की जाती है।

जनवरी 14, 2026

ऐमन

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)